भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष माननीय न्यायालय रिवेन्यू बोर्ड मध्य प्रदेश ग्वालियर श्रृखला न्यायालय जबलपुर

पुनरीक्षण क्रं. ..../2018

राहुल शिवहरे पिता श्री राजकुमार शिवहरे निगरानी-4610/2018/सिवनी/भू.रा.स.
उम्र– 32 वर्ष
जनपद सदस्य, पंचायत लखनादौन
जिला सिवनी (म.प्र.)

.... पुर्नरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. प्रसन्न शिवहरे
पिता श्री जगदीश शिवहरे
निवासी – धूमा, तहसील लखनादौन
जिला सिवनी (म.प्र.)

2. म.प्र.शासन
द्वारा – कलेक्टर
सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.)

.... गैरपुर्नरीक्षणकर्ता

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

पुर्नरीक्षणकर्तागण निम्न लिखित कथन करते हैं :–

यह कि उक्त पुर्नरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रं. 222/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23/07/2018 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुर्नरीक्षण निम्न लिखित तथ्यों और आधारों पर प्रस्तुत है :–

पुर्नरीक्षण के तथ्य

1. यह कि गैरपुर्नरीक्षणकर्ता क्रं. 1 द्वारा थाना धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी के द्वारा इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर के पत्र क्रं. जे.डी.ओ/एन ओ.सी. में विहित की गई ग्राम बरबटी प.ह.नं. 14 रा.नि.म. धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी में स्थित अकृषि भूमि ख.नं. 23/7 रकबा क्रमशः 0.55 हैक्टेयर में से 45 मीटर बाई 45 मीटर अकृषि भूमि पर नया रिटेल/आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान जिला दण्डाधिकारी सिवनी म.प्र. के समक्ष आवेदन पत्र दिया था जिसका प्रकरण क्रं. 65/बी–121/16–17 पंजीबद्ध हुआ।

2. यह कि पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा कार्यालय कमिश्नर संभाग जबलपुर को एक शिकायत की कि ग्राम बरबटी प.ह.नं. 14 रा.नि.म. धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी में स्थित अकृषि भूमि ख.नं. 23/7 रकबा क्रमशः 0.55 हैक्टेयर को राजस्व प्रकरण क्रं. 6/अ–2/15–16 दिनांक 05/ /2016 को अकृषि भूमि दर्ज किया गया है यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है तथा अन्तरित की गई भूमि को 10 वर्ष की कालावधि के पश्चात ही व्यपवर्तित किया जा सकता है जिस पर उक्त शिकायत को माननीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी – 4610–2018 / सिवनी / भू.रा.

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्ष
11-04-19	आवेदक राहुल शिवहरे पिता राजकुमार शिवहरे, जनपद सदस्य पंचायत लखनादौन निवासी घूमा जिला सिवनी ने आवेदन दिनॉक 27 फरवरी, 2019 प्रस्तुत कर बताया कि वह राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में उनके व्दारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी – 4610–2018 / सिवनी / भू.रा को वापिस लेना चाहते हैं एंव आगे नहीं चलाना चाहते हैं। 2/ राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी – 4610–2018 / सिवनी / भू.रा के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण का अंतिम निराकरण आदेश दिनांक 17 अक्टूवर 2018 से कर दिया गया है जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 27120 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 24–12–2018 से आदेश दिनांक 17–10–18 अपास्त होने से प्रकरण में पक्षकारों की पुनः सुनवाई की जा रही थी, इसी दौरान आवेदक राहुल शिवहरे पिता राजकुमार शिवहरे, जनपद सदस्य पंचायत लखना दौन निवासी घूमा जिला सिवनी ने आवेदन दिनॉक 27 फरवरी, 2019 प्रस्तुत कर बताया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में उनके व्दारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी – 4610–2018 / सिवनी / भू.रा को वापिस लेना चाहते हैं। 3/ प्रकरण में उपजी परिरिथतियों पर विचार किया गया। कलेक्टर सिवनी व्दारा प्रकरण कमांक 65 बी 121 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 3–10–17 के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई थी जिसमें पारित आदेश दिनांक 23–7–18 के कम में कलेक्टर सिवनी को कार्यवाही करना है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन का शीर्षक इस प्रकार है :– निगरानी कर्ता राहुल शिवहरे व्दारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 4610 / 2018 / सिवनी / भू राजस्व को वापिस लिये जाने वावत् आवेदन।	

आवेदक ने अंत में इस प्रकार प्रार्थना अंकित की है :–

माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि निगरानीकर्ता व्दारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 4610/ 2018/ सिवनी/भू राजस्व को वापिस करते हुये खारिज करने की कृपा करें।

अतः आवेदक की मांग अनुसार निगरानी खारिज की जाती है। इस निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14–1–19 भी समाप्त हो जाने से कलेक्टर सिवनी प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं।

सदस्य